GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1865
TO BE ANSWERED ON 16.03.2023

PLAN TO INCREASE MINIMUM WAGES ACROSS THE COUNTRY

1865. SHRI SANDOSH KUMAR P:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) the existing minimum wages in each State and Union Territory of the country;
(b) whether Government is planning to increase the minimum wages across the country; and
(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (c): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central Government and the State Governments are appropriate Governments to fix, review and revise the minimum wages of the employees employed in the scheduled employments under their respective jurisdictions. In order to take care of the rising prices, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October of every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers. V.D.A. on basic rates of minimum wages was last revised w.e.f. 01.10.2022. A statement showing increase in the rates of wages on account of increasing V.D.A payable to the employees engaged in the scheduled employments in the Central Sphere is at Annexure. The details of periodic revision of minimum rates of wages in scheduled employments in the State sphere are not centrally maintained.

* *****

https://www.govtstaff.com

<u>Annexure</u>

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1865 FOR 16.03.2023.

Statement showing increased rates of minimum wages on account of revision of VDA from 19.01.2017 to 01.10.2022

Scheduled Employment	Category of Workers	Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)					
		Area A		Area B		Area C	
		19.01.2017	01.10.2022	19.01.2017	01.10.2022	19.01.2017	01.10.2022
Agriculture	Unskilled	333	454	303	414	300	409
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	364	495	335	456	307	419
	Skilled/Clerical	395	539	364	495	334	455
	Highly-skilled	438	596	407	554	364	495
Sweeping and Cleaning+	Unskilled	523	711	437	595	350	477
Watch and Ward	Without Arms (Upgraded to skilled with training)	637	866	579	788	494	671
	With Arms(Upgraded to highly skilled for supervision)	693	940	637	866	579	788
Loading & Unloading#	Unskilled	523	711	437	595	350	477
Construction^	Unskilled	523	711	437	595	350	477
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	579	788	494	671	410	557
	Skilled/Clerical	637	866	579	788	494	671
	Highly-skilled	693	940	637	866	579	788
		19.01.2017			01.10.2022		
Workers engaged in Stone Mines for Stone Breaking and Stone Crushing	1.Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift:*						
	(a) Soft Soil	351			481		
	(b) Soft Soil with Rock	531			722		
	(c) Rock	703			956		
	2. Removal and Staking of rejected stones with 50 metres lead/1.5metres lift*	283			386		
	3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size of category**						
	(a) 1.0 inch to 1.5 inches	2171			2938		
	(b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches	1857			2513		
	(c) Above 3.0 Inches to 5 Inches	1088			1475		
	(d) Above 5.0 Inches	893			1212		
		Above Ground {Rates of Wages including V.D.A per			Below Ground {Rates of Wages including V.D.A per		

https://www.govtstaff.com

Non - Coal Mines$		**day (in Rs.)}**		**day (in Rs.)}**	
		19.01.2017	**01.10.2022**	**19.01.2017**	**01.10.2022**
	Unskilled	350	477	437	595
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	437	595	523	711
	Skilled/Clerical	523	711	610	829
	Highly-skilled	610	829	683	926

*Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet
** Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet

+Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

#Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).

^Employees engaged in the employment ofconstruction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.

$Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

(Contd/-)

https://www.govtstaff.com

Classification of Area

AREA – "A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Navi Mumbai		Pune	(UA)		
AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)	Gorakhpur	(UA)
NandedWaghala	(M. Corpn)	GreaterVisakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)	Guntur	(UA)
Panchkula	(UA)	Guwahati	(UA)	Patna	(UA)

Area 'C' will comprise all areas not mentioned in this list.

NB: U.A. stands for Urban Agglomeration.

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1865

गुरूवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

देश भर में न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की योजना

1865. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मौजूदा न्यूनतम वेतन कितना है;

(ख) क्या सरकार देश भर में न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय, समीक्षा और संशोधित करने के लिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में समुचित सरकारें हैं। बढ़ते मूल्यों का ध्यान रखने के लिए, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल और 01 अक्तूबर से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती महंगाई भत्ते (वीडीए) में प्रत्येक छह महीने में संशोधन करती है। न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती महंगाई भत्ते (वी.डी.ए.) को पिछली बार दिनांक 01.10.2022 को संशोधित किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों को देय वीडीए में वृद्धि के कारण मजदूरी की दरों में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के आवधिक संशोधन का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

* *******

https://www.govtstaff.com

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 16.03.2023 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.01.2017 से 01.10.2022 तक वीडीए में संशोधन के कारण न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण

अनुसूचित नियोजन	कामगार की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है					
		क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		19.01.2017	01.10.2022	19.01.2017	01.10.2022	19.01.2017	01.10.2022
कृषि	अकुशल	333	454	303	414	300	409
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	364	495	335	456	307	419
	कुशल/लिपिकीय	395	539	364	495	334	455
	अतिकुशल	438	596	407	554	364	495
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	523	711	437	595	350	477
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	637	866	579	788	494	671
	शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	693	940	637	866	579	788
लादना एवं उतारना #	अकुशल	523	711	437	595	350	477
निर्माण ^	अकुशल	523	711	437	595	350	477
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	579	788	494	671	410	557
	कुशल/लिपिकीय	637	866	579	788	494	671
	अति कुशल	693	940	637	866	579	788
		19.01.2017			01.10.2022		

https://www.govtstaff.com

<table>
<tr><td rowspan="10">पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में कार्यरत मजदूर</td><td colspan="5">1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*</td></tr>
<tr><td>(क) नरम मिट्टी</td><td colspan="2">351</td><td colspan="2">481</td></tr>
<tr><td>(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी</td><td colspan="2">531</td><td colspan="2">722</td></tr>
<tr><td>(ग) चट्टान</td><td colspan="2">703</td><td colspan="2">956</td></tr>
<tr><td>2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में *</td><td colspan="2">283</td><td colspan="2">386</td></tr>
<tr><td colspan="5">3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए **</td></tr>
<tr><td>(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच</td><td colspan="2">2171</td><td colspan="2">2938</td></tr>
<tr><td>(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक</td><td colspan="2">1857</td><td colspan="2">2513</td></tr>
<tr><td>(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक</td><td colspan="2">1088</td><td colspan="2">1475</td></tr>
<tr><td>(घ) 5.0 इंच से ऊपर</td><td colspan="2">893</td><td colspan="2">1212</td></tr>
<tr><td rowspan="6">गैर-कोयला खानें$</td><td></td><td colspan="2">भूमि के ऊपर
{ मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }</td><td colspan="2">भूमि के नीचे
{ मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }</td></tr>
<tr><td></td><td>19.01.2017</td><td>01.10.2022</td><td>19.01.2017</td><td>01.10.2022</td></tr>
<tr><td>अकुशल</td><td>350</td><td>477</td><td>437</td><td>595</td></tr>
<tr><td>अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय</td><td>437</td><td>595</td><td>523</td><td>711</td></tr>
<tr><td>कुशल/लिपिकीय</td><td>523</td><td>711</td><td>610</td><td>829</td></tr>
<tr><td>अति कुशल</td><td>610</td><td>829</td><td>683</td><td>926</td></tr>
</table>

* प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, **1993** के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर साफ और सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

(i) रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों; **(ii)** अन्य गुड्स शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; **(iii)** गोदी और बंदरगाह; और **(iv)** हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) में ले जाने वाले यात्री सामान और कार्गो में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी।

https://www.govtstaff.com

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खदानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

https://www.govtstaff.com

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिको	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।

*****

https://www.govtstaff.com